राजस्थान–सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं,राज0जयपुर

क्रमांकः ई–18/जो.कोटा/स्थाईकरण/2025/05 दिनांकः– 22/1/2025

आदेश

अपील संख्या 1583/2020 मुकेश कुमार शर्मा बनाम राज्य प्रकरण मे माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2020 की पालना में राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(1)एफ. डी/(रूल्स)2013–II दिनांक 28.06.2013 की अनुपालना में श्री मुकेश कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांरा जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 28.04.2007 है तथा दिनांक 27.04.2009 को दो वर्ष की परीविक्षा अवधि पूर्ण कर ली है। कार्मिक द्वारा दिनांक 24.12.2010 को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, को परीविक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि से (5200–20200) रनिंग पै–बेण्ड 5680+1900 ग्रेड पे कुल 7580/– वेतन नियतन किया जाता है।

कर्मचारी को टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण दिनांक 24.12.2010 से वार्षिक वेतन वृद्वि का नकद लाभ देय होगा व टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण की तिथि से पूर्व की वार्षिक वेतनवृद्वि का काल्पनिक लाभ देय होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0,जयपुर

क्रमांकः ई–18/जो.कोटा/स्थाईकरण/2025/05 दिनांकः– 22/1/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन कोटा।
2– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांरा।
3– प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4– संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
5– आदेश/निजी पत्रावली ।

निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0,जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA (rakeshsharma@gmail.com>.
Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date :20-01-2025 08:22:29

RajKaj Ref No.: 13046465